भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4579
20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना में बदलाव

4579. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना (एमपीलैड्स) से संबंधित शर्तों में कोई बदलाव किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का एमपीएलएडीएस के संबंध में आवंटन को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) मंत्रालय ने नए एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 प्रस्तुत किए हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी ई-साक्षी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। माननीय सांसदों की वार्षिक पात्रता वित्त वर्ष के प्रारंभ में उनके ई-साक्षी खाते में अधिकृत कर दी जाती है, जिसका उपयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यों की संस्तुति करने के लिए किया जा सकता है। सरकार द्वारा एमपीलैड योजना के लिए दिनांक 01.04.2023 से कार्यान्वित निधि प्रवाह प्रणाली, जिला स्तर पर वास्तविक बैंक खातों में धनराशि जमा किए बिना विक्रेताओं को समय पर प्रत्यक्ष भुगतान सुनिश्चित करती है।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निर्देशानुसार एमपीलैड योजना को अप्रैल 2025 से मॉडल 2 से मॉडल 1ए या टीएसए (हाइब्रिड) प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है और तदनुसार, अब सभी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं।
एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के कार्यान्वयन के बाद इसमें किए गए प्रमुख संशोधन अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) मंत्रालय, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हितधारकों से एमपीलैड्स योजना के तहत निधियों की पात्रता में संशोधन के लिए नियमित आधार पर सुझाव सहित नए प्रस्ताव प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है ।

*****

अनुबंध।

{दिनांक 20.08.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4579 भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध}

1. ई-साक्षी पोर्टल में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, जिन्हें एमपीलैड्स योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए लागू किया गया है:

   i. कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा चयनित न्यास, सोसायटी, सहकारी समिति, बार एसोसिएशन, ग्राम पंचायत, यूएलबी, आदि एमपीलैड्स के अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों को सीधे निष्पादित करने के पात्र हैं तथा उन्हें उप-एजेंसी कहा जाता है।

   ii. कार्यान्वयन जिला, कार्य की स्वीकृति के बाद भी, या कुछ व्यय हो जाने के बाद भी, यदि किसी वैध कारण से कार्य करना संभव न हो, तो कार्य की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। आईडीए द्वारा उचित रिकॉर्डिंग के बाद कार्य को वापस लिया जा सकता है तथा अस्वीकृति, आईए/कागजी कार्य में परिवर्तन आदि किया जा सकता है। सीएनए के यथोचित अनुमोदन के बाद स्वीकृति कार्य की अस्वीकृति होने की स्थिति में, निधि माननीय सांसद के खाते/डैशबोर्ड में वापस चली जाएगी। यदि संबंधित सांसद ने तब तक अपना पद त्याग दिया है, तो इस प्रकार लौटाई गई धनराशि उसके उत्तराधिकारी सांसद को मिल जाएगी या एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 10.5 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए समान रूप से वितरित की जाएगी।

   iii. एक निर्वाचित संसद सदस्य सामान्य क्षेत्र के बाहर देश में कहीं भी एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के उपरोक्त पैरा 3.1 के तहत व निम्नलिखित शर्तों के अधीन, काम की अनुशंसा कर सकता है और एक वित्त वर्ष में प्रति संसद सदस्य के लिए आपदा की स्थिति को छोड़कर, ऐसी सभी अनुशंसाओं के लिए, 50 लाख रुपये की उच्चतम सीमा होगी। (एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 का पैरा 3.1.2.1)

   iv. एमपीलैड्स निधियों का उपयोग अचल संपत्तियों की मरम्मत और उनके नवीनीकरण के लिए किया जा सकता है यह इस शर्त के अधीन होगा कि एक संसद सदस्य ऐसी सभी मरम्मतों और नवीनीकरण के लिए एक वित्त वर्ष में कुल प्राधिकार के केवल 10% तक की राशि की अनुशंसा कर सकता है, बशर्ते कि संपत्ति का नवीनीकरण इसके वास्तविक निर्माण या अन्तिम मरम्मत समय से उपयुक्त अन्तराल के बाद ही किया जा सकता है। (एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 का पैरा 5.1.9)

   v. एक संसद सदस्य सभी समितियों/न्यासों, सहकारी समिति, बार एसोसिएशन को अलग-अलग या एक साथ मिलाकर एक वित्त वर्ष में कुल प्राधिकार के केवल 10% तक की निधि की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते कि संसद सदस्य किसी विशेष इकाई के लिए अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के कार्यों की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपये की सीमा, उनके संसद सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन/मनोनयन के उपरान्त नए कार्यकाल के प्रारम्भ होने पर पुनः शुरू होगी। (एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 का पैरा 6.2.6.2)

   vi. संसद सदस्य लोअर और जिला न्यायालयों के लिए (तहसील / उप-मंडल /जिला स्तर पर न्यायालय) बार संघ पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की खरीद के लिए एमपीलैड्स निधि से कुल प्राधिकार के 0.1% तक की अनुशंसा कर सकते हैं। (एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 का पैरा 6.4.2)

   vii. संसद सदस्य की अचानक मृत्यु या त्यागपत्र के मामले में, उपरोक्त पैरा 10.4.3 में आवंटन नियम के बावजूद, उस संसद सदस्य की मूल पात्रता के अनुसार कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा विधिवत स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा किया जाएगा। उस वित्त वर्ष के लिए पात्रता उसके उसकी पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अप्रतिबद्ध शेष राशि तक सीमित रहेगी । (एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 का पैरा 10.4.7)

*****